न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2018 (उदयपुर आर्डर)

गुरूचरण सिंह पिता श्री गोपालसिंह रावत, निवासी बालातों की गवार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलेक्टर, राजसमन्द
दिनांक 28.06.2018 प्र॰सं॰ 04/2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 18–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा अपने प्रकरण संख्या 20/2018 से अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए ग्राम बालातों की गुवार स्थित आराजी नंबर 16505/8289 किस्म राजकीय बिलानाम 5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 14–05–2018 से बेदखली व शास्ति का आदेश पारित किया।

तहसीलदार भीम के उक्त निर्णय दिनांक 14–05–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 4/2018 में दिनांक 28–06–2018 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 11–07–2016 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अपील अपीलान्ट स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की। वही राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एंव विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा आधिपत्य नहीं है बल्कि अपीलान्ट के परिजन आवासीय भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। मूल आराजी नंबर 8289 में से आराजी नंबर 16413/8289 रकबा 10 बिस्वा किस्म आबादी पर अपीलान्ट परिजन के साथ 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर निवास कर रहे हैं। उक्त आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट के परिजनों के पक्ष में पंचायती राज अधिनियम के तहत जारी किये हैं। भूमि आवासीय होने से तहसीलदार को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जबकि वास्तव में आराजी नंबर 16505/8289 तरमीमशुदा यह भाग ही नहीं है। आराजी नंबर 8289 में से आबादी बिस्तार हेतु 5 बिस्वा भूमि आराजी नंबर 16413/8289 के रूप में प्रदान की गयी थी, जिस पर अपीलान्ट के मकान अपने बाप–दादाओं के समय से बने होकर उसमें निवास कर रहे हैं। अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। अधिनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि के संबंध में धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण की पत्रावली में तहसीलदार के रूप में दो भिन्न–भिन्न व्यक्ति कार्यवाही कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर कर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर रहा है। एक पद पर दो व्यक्ति द्वारा एक ही समय पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है, लेकिन उक्त प्रकरण में धारा 91 के नोटिस पर तहसीलदार के रूप में अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट का

50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होकर मकान व बाड़ा बना हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में उक्त प्रकार से की जा रही बेदखली की कार्यवाही को विधि विरूद्ध व अवैध माना है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी नंबर 16505/8289 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा राजकीय राजकीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा नवनिर्माण किये जाने से उसे नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उसके द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य निरन्तर जारी रखा गया है। अपीलान्ट के पक्ष में जो पट्टा जारी हुआ है वह आराजी नंबर 16413/8289 का है, जबकि उसका अतिक्रमण आराजी नंबर 16505/8289 पर है। तद्नुसार राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये जाने में कोई रोक नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वह निसंदेह राजकीय भूमि पर किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह साबित होता हो कि उसका निर्माण उसे प्राप्त पट्टे की भूमि पर किया जा रहा हो। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बहाल रखा है, जिसमें हम किसी प्रकार तथ्यात्मक विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 28–06–2018 एवं तहसीलदार भीम का निर्णय दिनांक 14–05–2018 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 18–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर